मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 23, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यदेव कटारे, राज्यमंत्री गृह, राजगढ़ जिले के ग्राम छुआडल्या में दिनांक 9 जून, 1994 को घटित घटना तथा पुलिस कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, कंकर मुंजारे, गोविन्द मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पथरी में एक व्यक्ति द्वारा शासकीय भवन का निजी उपयोग किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर में एक शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा एक बालिका के साथ बलात्कार का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर के जैसीनगर थानान्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, खेल संचालक द्वारा अनावश्यक सामग्री का क्रय किये जाने की ओर राज्यमंत्री, खेल एवं युवक कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) बहिन नदी पर पुल बनाये जाने,
(ख) चूल्हापाठ नाले पर सिंचाई हेतु जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम सलवाह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा खोले जाने,
(घ) ग्राम सलवाह में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

(2) श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम रिजगांव में माध्यमिक शाला खोले जाने,
(ख) ग्राम टेमागांव-भादूगांव मार्ग पर पुल-पुलिया एवं डब्लू.बी.एम.सड़क का निर्माण कराये जाने; तथा
(ग) ग्राम हरदा-मगर्धा मार्ग पर पुल-पुलिया एवं डब्लू.बी.एम.सड़क का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 41 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, वक्फ (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 44 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

1 घन्टा (3) श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 40 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) ऊर्जा उत्पादन के लिये देशी-विदेशी संस्थानों से किये जा रहे अनुबंधों की शर्तों के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

1 घन्टा 30 मि. (2) बाणसागर परियोजना तथा बरगी जलाशय के अंतर्गत रानी अवंती बाई परियोजना पर्याप्त धनराशि के अभाव में पूर्ण न हो पाने तथा परियोजनाओं को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घन्टे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 पर चर्चा.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 13 दिसम्बर, 1994